

147/2025
25/10/25

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

2025/233

सेवा में
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कलुदिया की जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 के खाता संख्या 96,138,139,259 में मेरा नाम काना पुत्र रामसुरज जो कन्हैया पुत्र रामसुरज का नाम है अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दिनांक

प्रार्थी कन्हैया

(.....)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम कलुदिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 के खाता संख्या 96,138,139,259 में प्रार्थी का नाम काना पुत्र रामसुरज दर्ज है। जबकि मुताबिक सलग्न अक्षरिका में जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम कन्हैया पुत्र रामसुरज है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. मंगरौप

अनुराधा खटीक
पटवारी
पटवारी-जण्डल

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी जीप्ल एवं भू.अ.नि. मंगरौप के आधार पर ग्राम कलुदिया की जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 की खाता संख्या 96,138,139,259 में प्रार्थी का नाम काना के बजाय काना उके कन्हैया किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

ड.प्र.अ. 2025/1232 दिनांक 26-8-2025

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम कलुदिया जमाबन्दी संवत् 2014-77 खाता संख्या 96,138,139,259 में दर्ज प्रार्थी का नाम काना पुत्र रामसुरज के स्थान पर कन्हैया पुत्र रामसुरज संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-नीलवाड़ा